प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 13.08.2025

गाजियाबाद पुलिस द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन

स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में गाजियाबाद पुलिस द्वारा नागरिकों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने एवं राष्ट्रीय एकता को सशक्त बनाये जाने के उद्देश्य से आज भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा पुलिस लाइन्स गाजियाबाद से प्रारम्भ होकर हापुड़ चुंगी होते हुए पुलिस आयुक्त कार्यालय, राजनगर पर जाकर सम्पन्न हुई।

उक्त तिरंगा यात्रा में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, मुख्यालय, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं कानून व्यवस्था, अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात, समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात, सहायक पुलिस आयुक्त, कविनगर, सहायक पुलिस आयुक्त, कोतवाली, प्रतिसार निरीक्षक, थाना प्रभारी कविनगर, समस्त यातायात निरीक्षक गण, यातायात पुलिस/पुलिस लाइन्स के कर्मचारीगण एवं पुलिस मॉडर्न स्कूल के छात्र/छात्राओं के द्वारा उत्साहपूर्वक भाग लिया गया। सभी प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ एकता, भाईचारा और राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया।

कार्यक्रम के सफल आयोजन में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा।

साइबर सेल थाना भोजपुर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 25,000/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई ।

दिनांक 12.08.2025 को साइबर सेल थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा आवेदक श्री योगेन्द्र कुमार निवासी ग्राम अतरौली थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि 25,000/-रुपये आवेदक को वापस कराया गया ।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना भोजपुर गाजियाबाद को NCRP पॉर्टल के माध्यम से आवेदक श्री योगेन्द्र कुमार के साथ 25,000/- रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 12.08.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की 25,000/-रुपये की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया । आवेदक द्वारा थाना भोजपुर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया ।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

साइबर सेल थाना भोजपुर पुलिस टीम

थाना मसूरी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 12.08.2025 को थाना मसूरी पर वादी श्री रागिब अली पुत्र प्यार मौहम्मद निवासी शेखपुर खीचरा थाना धौलाना हापुड़ द्वारा कस्बा मसूरी में स्थित दुकान पर हुये झगडे व मारपीट के संबंध में दी गई तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर धारा 115(2)/351(3)/110 बीएनएस बनाम 1.नौशाद 2. मुसा 3. आरिफ 4. वकील के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया जिसमें नामित/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 13.08.2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तों 1.नौशाद पुत्र अलीमुद्दीन निवासी ग्राम हसनपुर थाना धौलाना जिला हापुड़ उम्र करीब 27 वर्ष 2. आरिफ पुत्र अलीमुद्दीन निवासी हसनपुर थाना धौलाना जिला हापुड़ को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि दुकान के सामने से निकलने को लेकर हमारा आपस में विवाद हो गया था जिसमें हमारी मारपीट भी हो गई थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.नौशाद पुत्र अलीमुद्दीन निवासी ग्राम हसनपुर थाना धौलाना जिला हापुड़ उम्र करीब 27 वर्ष।
2.आरिफ पुत्र अलीमुद्दीन निवासी ग्राम हसनपुर थाना धौलाना जिला हापुड़ उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 12.08.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त योगेश सिंह पवार पुत्र जोत सिंह हाल निवासी 144 सी कामना वैशाली सै0 5 वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद मूल पता ग्राम वागी थाना प्रतापनगर जिला प्रतापनगर उत्तराखण्ड उम्र करीब 20 वर्ष को आनन्द बिहार बॉर्डर खण्डर बिल्डिंग के पास कौशाम्बी से चोरी की 02 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार

अभियुक्त योगेश सिंह पवार पुत्र जोत सिंह उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2), 317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त योगेश सिंह पवार पुत्र जोत सिंह उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि बरामद दोनों मोटर साइकिल को अभियुक्त उपरोक्त ने एक मोटर साइकिल को लगभग दो साल पहले दिल्ली से चोरी किया था। जिसे अभियुक्त अपने दैनिक कार्यों में प्रयोग कर रहा था तथा दूसरी मोटर साइकिल को करीब 20-22 दिन पहले दिल्ली से चोरी किया था। जिसे अभियुक्त उपरोक्त जगह बदल-बदल कर खड़ी कर रहा था इसी क्रम में अभियुक्त उपरोक्त ने दो दिन पहले मोटर साइकिल को इसी खण्डहर बिल्डिंग के पास खडी कर दिया था। जिसे आज अभियुक्त बेचने की फिराक में था कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

योगेश सिंह पवार पुत्र जोत सिंह हाल निवासी 144 सी कामना वैशाली सै0 5 वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद मूल पता ग्राम वागी थाना प्रतापनगर जिला प्रतापनगर उत्तराखण्ड उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त योगेश सिंह पवार पुत्र जोत सिंह उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी व दिल्ली में चोरी व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में लूट/टप्पेबाजी/चोरी की घटना को कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 6800/- रूपये, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल एवं अवैध अस्लाह व कारतूस बरामद।

दिनांक 12.08.2025 की रात्रि में थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार दो बदमाश को पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया किन्तु नही रूके। मोटर साइकिल सावर व्यक्ति द्वारा मोटर साइकिल को पीछे मोडकर लोकोशेड / रेलवे स्टेशन की तरफ भागने लगे। जिसका पीछा पुलिस द्वारा किया तथा मोटर साइकिल सवार द्वारा कुछ दूरी में मोटर साइकिल कच्चे रास्ते की ओर मोड दी जो अनियन्त्रित होकर फिसल कर गिर गयी।

जिनको पुलिस पार्टी द्वारा आत्मसर्मपण हेतु कहा गया तो पुलिस पार्टी को अपनी ओर आता देख बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुये भागने का प्रयास किया गया। जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा सिखलाये गये तरीके से बदमाश पर फायरिंग की गयी जिसमें एक बदमाश घायल हो गया तथा एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया। घायल अभियुक्त **बाबू पुत्र शेख सद्दीक निवासी गांव गेसूपुर थाना कोतवाली सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर हाल पता आमना मस्जिद के पास मयूरविहार डासना थाना मसूरी गाजियाबाद** को मौके पर ही मोटर साइकिल एवं अवैध अस्लाह के साथ गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त बाबू उपरोक्त को उपचार हेतु जिला एमएमजी गाजियाबाद होस्पिटल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि साहब मैं अपने साथी नौसाद पुत्र नामालूम के साथ मिलकर नोएडा , गाजियाबाद में रहा चलते भोले भाले व्यक्तियों को बहला फुसलाकर अपने झांसे में लेकर अपनी बाइक पर बैठकर उनसे लूटपाट करके उनका सामान छीन लेते है तथा उन एटीएम उनसे लेकर पासवर्ड पता करके उससे भी रूपये निकाल लेते है। कुछ दिन पहले भी हमने एक व्यक्ति को लाल कुंआ से अपनी मोटर साइकिल पर बैठाकर उससे रूपये एवं अंगूठी तथा मोबाइल छीना था तथा उसका एटीएम लेकर उससे उसका पासवर्ड पता करके उससे भी विजयनगर में स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम से रूपये निकाले थे। रूपये को हमने आपस में बांट लिये थे। आज भी हम दोनों किसी घटना की फिराक में घूम रहे थे। कि पुलिस द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

नाम पता अभियुक्त: -

बाबू पुत्र शेख सद्दीक निवासी गांव गेसूपुर थाना कोतवाली सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर हाल पता आमना मस्जिद के पास मयूरविहार डासना थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

1. घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल UP14GP 6979 हीरो होड़ा।
2. 01 अवैध तमंचा 315 बोर , 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. 6800/- रूपये नगद बरामद

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त बाबू उपरोक्त पर - 04 अभियोग लूट/चोरी/टप्पेबाजी से सम्बन्धित थाना विजयनगर पर , 02 अभियोग लूट/चोरी थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पर , 01 अभियोग चोरी से सम्बन्धित जनपद गौतमबुद्धनगर पर **अभियुक्त पर कुल 07 अभियोग पंजीकृत है।**

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना विजयनगर पुसि टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा थाना लिंकरोड क्षेत्रान्तर्गत हत्या की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 12.08.2025 को थाना लिंकरोड़ पर वादी रवि भूषण प्रसाद(मृतक का दोस्त) पुत्र स्व0 सरयू निवासी गांव बलबतरा थाना टाउन जिला भोजपुर बिहार, हाल निवासी कुवरपाल के मकान में कड़कड़ मॉडल थाना लिंकरोड

गाजियाबाद ने लिखित तहरीर दी और बताया कि मेरे दोस्त रंजीत राम(मृतक) पुत्र योगेन्द्र राम गांव उपरौला थाना बिशनपुर जिला मुज्जफरपूर बिहार, हाल निवासी कुंवरपाल के मकान में किरायेदार ग्राम कड़कड़ मॉडल थाना लिंकरोड गाजियाबाद को शराब पीकर कपडे से फंदा लगाकर जमीन पर पटक पटक कर मार दिया। जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना लिंकरोड पर धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 13.08.2025 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना लिंकरोड क्षेत्रान्तर्गत हत्या की घटना कारित करने वाला अभियुक्त विक्रम पुत्र श्रीराम निवासी कुंवरपाल के मकान में किरायेदार ग्राम कड़कड़ मॉडल थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र करीब 41 वर्ष को इन्द्रप्रस्थ कॉलेज कट साइट-04 से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त विक्रम पुत्र श्रीराम उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त विक्रम पुत्र श्रीराम उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि मृतक रंजीत राम व अभियुक्त विक्रम उपरोक्त ने साथ में बैठ कर शराब पी और उसके बाद शराब को लेकर दोनों का आपस में झगडा हो गया इसी दौरान अभियुक्त विक्रम ने मृतक रंजीत राम के गले में अगौछा से गला घोटकर तथा उसके सिर को जमीन पर पटक-पटक कर मार दिया और वहाँ से भाग गया। जिसे आज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विक्रम पुत्र श्रीराम निवासी कुंवरपाल के मकान में किरायेदार ग्राम कड़कड़ मॉडल थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र करीब 41 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त विक्रम पुत्र श्रीराम उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर हत्या के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।